पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 225/2024 दिनांक- 19.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने जनपद के थाना अहरौला व अतरौलिया का किया आकस्मिक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा- निर्देश

दिनांक- 18.07.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा जनपद के **थाना अहरौला व अतरौलिया** का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पायी गयी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा थाना परिसर में पुरानी इमारतों को मरम्मत कराकर साफ-सफाई करने के निर्देश दिये गये।

साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।

शादी का झांसा देकर बुजुर्ग के साथ फ्राड करनें एवं हनी ट्रैप फ्राड, पीड़ित दो व्यक्तियो से ठगी का 2,19,000/- रूपयें वापस

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी** के मार्गदर्शन में साइबर सेल जनपद आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों का रूपया- 2,19,000/ वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

01- शादी का झांसा देकर फ्राड- आवेदक थाना क्षेत्र गंभीरपुर निवासी जो कि एक 58 वर्षीय बुजुर्ग हैं, नें एक समाचार पत्र में शादी का विज्ञापन देखा जिसमें दिये गये मोबाइल नम्बर पर वार्ता करनें लगे जिसमें साइबर फ्राडों नें आवेदक से लड़की के आवास में वार्ता किया और आवेदक को अपनें जाल में फंसा कर अपनें खातें में पैसा ट्रान्सफर करा लिया गया।

कार्यवाही- उक्त घटना के पश्चात आवेदक ने साइबर सेल में अपनी रिपोर्ट की जिसकी सूचना पर तत्काल साइबर सेल द्वारा जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक के पैसे इण्डियन बैंक में गये थे जिसको तत्काल ब्लाक कराते हुए आवेदक का पूरा पैसा वापस कराया दिया गया।

जागरूकता- किसी भी विज्ञापन पर आफ लाइन/आन लाइन पर दिये गये मोबाइल नम्बर पर वार्ता करते समय ध्यान रखे कि फोन पर बात करनें वाला व्यक्ति आपसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसों की मांग करनें पर समझ आये की वह फ्राड है और सावधान हो कर पुलिस को रिपोर्ट करें।

02- हनी ट्रैप फ्राड- आवेदक थानाक्षेत्र कोतवाली के मोबाइल पर अज्ञात व्हाट्सऐप नम्बर से वीडियों काल आया जिसपर उधर से एक महिला का अश्लिल वीडियों चल रहा था जिसमें आवेदक को फसाकर स्क्रीन रिकार्डिंग कर लिया गया तथा स्क्रीन रिकार्डिंग का वीडियों भेजकर वायरल करनें की धमकी देकर आवेदक को ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करनें लगा जिसमें आवेदक लोक लाज के डर से पैसे ट्रान्सफर कर दिये उसके बाद जब बार—बार पैसों की मांग किया जानें लगा तो आवेदक द्वारा साइबर सेल को सूचना दिया गया।

कार्यवाही- उक्त साइबर फ्राड की जानकारी होते ही साइबर सेल द्वारा जांच कर उक्त फ्राड का व्हाट्सऐप बंद कराते हुए ट्रान्सफर किये गये पैसों की जांच किया गया जो कि एचडीएफसी बैंक के 2 खाते में गया था को तत्काल ब्लाक कराते हुए आवेदक का पैसा वापस कराया गया।

जागरूकता- किसी अनजान व्यक्ति से वीडियों कालिंग पर बात करनें से बचे यदि किसी के साथ इस प्रकार की हनी ट्रैपिंग की घटना हो तो पैनिक ना हो और ना ही पैसे भेजें तत्काल साइबर सेल/थाना या स्थानीय थानों को बतायें।किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन डायल करें अथवा साइबर सेल/थाना पर संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक साइबर अपराधों की सूचना तीन दिवस में साइबर सेल/साइबर थाना पर देने पर संपूर्ण धन वापस कराया जा सकता है।

साइबर सेल टीम—

मु0आ0 ओमप्रकाश जायसवाल साइबर थाना आजमगढ़।

मु0आ0 मुकेश भारती आरक्षी राहुल सिंह आरक्षी सतेन्द्र यादव साइबर थाना आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण; परेड की ली सलामी, साफ-सफाई के लिए दिये गये दिशा- निर्देश ।

आज दिनांक- 19.07.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया, परेड में पुलिस लाईन्स तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्यआरक्षी, उ0नि0, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहें डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर शुभम अग्रवाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन्स उपस्थित रहें।

➡ पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों का मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्द, शस्त्रागार, गैस एजेन्सी अन्य शाखाओं निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया ।

➡ यूपी 112 के दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया, तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों/टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ-सफाई व रख-रखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

थाना मुबारकपुर

अवैध रूप से गाँजा की बिक्री कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध गाँजा बरामद

आज दिनांक 19.07.2024 को उ0नि0 धीरेन्द्र नरायन शुक्ला मय हमराह पुलिस बल के क्षेत्र मे मामुर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर सीपीएस स्कूल के पास ग्राम हुसैनाबाद से मुखबिर की निशांदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम दिनेश चौहान पुत्र बृजभूषण चौहान ग्राम सोनपार थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 46 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 550 ग्राम नाजायज गाँजा की बरामदगी की गयी। नियमानुसार फर्द बरामदगी की कार्यवाही करते हुए समय करीब 06.15 बजे प्रातः हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त- दिनेश चौहान पुत्र बृजभूषण चौहान ग्राम सोनपार थाना मुबारकपुर आजमगढ उम्र 46 वर्ष

बरामदगी- 550 ग्राम अवैध गांजा

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 276/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 91/2004 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0 276/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 धीरेन्द्र नरायन शुक्ल मय हमराह हे0का0 राहुल प्रसाद व का0 राहुल कुमार गोड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

किशोरी को भागने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 22.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि बीती रात में वादिनी पुत्री नहीं मिल रही थी वादिनी ने अपने पति को बताया उनके द्वारा भी खोजने पर नही मिली, अगले दिन सुबह मालूम हुआ कि वादिनी की लड़की को विजय बनवासी पुत्र रविन्द्र वनवासी नि0 संजरपुर बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 352/24 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 19.07.2024 को व0उनि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वान्छित अभियुक्तो की तलाश में संजरपुर बाजार में मौजूद थे कि सूचना मिली की अभियुक्त विजय बनवासी पुत्र रविन्द्र बनवासी सा0 संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष कही भागने की फिराक में संजरपुर खुटहना छाऊ मोड़ के पास मौजूद है। इस सूचना पर व0उनि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त विजय बनवासी पुत्र रविन्द्र बनवासी सा0 संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को संजरपुर खुटहना छाऊ मोड़ से समय करीब 10:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त– विजय बनवासी पुत्र रविन्द्र बनवासी सा0 संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 352/24 धारा 363/366 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले टीम- व0उनि0 योगेन्द्र कुमार, का0 पवनेश प्रताप सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी
अवैध तमंचा-कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 19-07-2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह क्षेत्र भ्रमण करते हुए समेंदा वर्कशाप से इटौरा तिराहा की तरफ जा रहे थे कि एक व्यक्ति खेमउपुर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस बल को देखते ही इटौरा तिराहा की तरफ भागने लगा जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम महेन्द्र मौर्य पुत्र राजबली मौर्य ग्राम ओदरा मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ जिसके पास से 01 देशी तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ जिसे समय करीब 12:50 AM बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 268/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 268/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- महेन्द्र मौर्य पुत्र राजबली मौर्य ग्राम ओदरा मठिया थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।
बरामदगी– .01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 धर्मराज भारती, आरक्षी अंशुमान सिंह, आरक्षी राहुल पाण्डेय, आरक्षी हेमन्त वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना निजामाबाद
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 19.09.2023 को आवेदक हसन रजा पुत्र अली अब्बास निवासी वार्ड न0 20 नसीरपुर नगर पालिका परिषद बिलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 17.09.2023 को वादी का पुत्र मो0 ताहिर अपने इनोवा गाडी से शहनाज उर्फ सन्नौ पत्नी मो0 हफीज ग्राम गुलवा गौरी को लेकर उसके बडे अब्बू की लडकी गुडिया पत्नी अशरफ के घर ग्राम सभा चकीया थाना निजामाबाद लेकर गया था घर पहुँचने के बाद गाडी मौके पर मौजुद थी परन्तु वादी का पुत्र मो0 ताहिर वहा से लापता था तथा मो0न0 +6510729511 से बार बार 2500000 रुपया की माग की जा रही है नही तो जान से मार देने की धमकी दे रहे था। वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 407/23 धारा -364ए भादवि0 बनाम मो0न0+6510729511 धारक नाम पता अज्ञात के बिरुद्ध दर्ज किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार अभियुक्त 1.रामआशीष यादव पुत्र बुद्धिराम यादव निवासी कुडवा थाना रौनापार , आजमगढ 2. शिवम यादव पुत्र लालधर यादव निवासी महुला डाडी थाना रौनापार , आजमगढ 3. शाहकमर पुत्र सुहैल निवासी वनारपुर थाना देवगाँव आजमगढ 4. मो0 फैसल पुत्र अबुल कैश निवासी कजराकोल थाना फुलपुर ,आजगमढ 5. शहनाज उर्फ सन्नो पत्नी मो0हफीज निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज , आजमगढ 6. अलीशेर पुत्र जव्वाद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज , आजमगढ 7. इशराक पुत्र सब्बीर निवासी ग्राम कुजियारी थाना निजामाबाद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया।

➡ श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध गैंग चार्ट पर दिनांक 22.06.2024 को अनुमोदित किया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 29.06.2024 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 318/24 धारा धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम-1.शाहकमर पुत्र हाजी सुहैल निवासी बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ 2. रामआशीष यादव पुत्र बुद्धिराम यादव निवासी सिवान कुडवा थाना रौनापुर जनपद आजमगढ 3.शिवम यादव पुत्र लालधर यादव निवासी महुला डाडी थाना रौनापार जनपद आजमगढ 4. मो0 फैसल पुत्र अबुल कैश निवासी कजरा कोल थाना फूलपुर जनपद आजगमढ 5. शहनाज उर्फ सन्नो पत्नी मो0हफीज निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ 6. अलीशेर पुत्र जव्वाद निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजगमढ 7.इसराक पुत्र सब्बीर निवासी कुजीयारी थाना निजामाबाद आजमगढ।के विरूद्ध पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 18.07.2024 को थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता शहनाज उर्फ सन्नो पत्नी मो0 हफीज निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज आजगमढ को शेरपुर तिराहा तहबरपुर रोड से समय करीब 15.15 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 318/24 धारा धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त- शहनाज उर्फ सन्नो पत्नी मो0 हफीज निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज आजगमढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
407/23	364 ए IPC	निजामाबाद	आजमगढ
318/24	2(ख)(i)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट .	निजामाबाद	आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव, हे0का0 मुलायम सिंह यादव, का0उमेश यादव, का0 संजय पाण्डेय, म0का0 पुनम सिंह, वाहन चालक हे0का0 ज्ञानधारी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।